

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137] No. 137] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2015/फाल्गुन 21, 1936 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2015/PHALGUNA 21, 1936

> भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) (केंद्रीय कार्यालय) अधिसूचना

मुम्बई, 3 मार्च, 2015

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2015

सा.का.िन. 183(अ).— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी) में निम्मलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2015 कहलाएंगे।
- (ii) वे 2 मार्च, 2015 से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची 1 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में, मौजूदा संलग्नक 'बी' में,

1175 GI/2015 (1)

मौजूदा प्रविष्टि एफ.2.2 में, मद सं. (4)(i)(सी) को निम्मलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

क्र.सं.	अन्य शर्तें:
(4)(1)(सी)	बीमा क्षेत्र में संयुक्त उद्यम(JV)/सहायक कंपनी वाले प्रायवेट बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आवेदनपत्र भारतीय
	रिज़र्व बैंक के विचारार्थ भेजे जाएं ताकि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) से परामर्श
	करके बीमा क्षेत्र के लिए लागू विदेशी शेयरधारिता की 49 प्रतिशत की सीमा भंग न होने देना सुनिश्चित किया जा
	सके।

(i) मौजूदा प्रविष्टि एफ.7 में, मद सं.एफ.7.1 एवं एफ.7.2 को निम्मलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

क्र॰सं॰	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ई क्विटी का %	प्रवेश मार्ग
एफ.7.1	(i) बीमा कंपनी (ii) बीमा ब्रोकर (iii) थर्ड पार्टी प्रशासक (iv) सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता (v) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के उपबंधों के	49% {एफडीआई +एफपीआअ (एफआई आई , क्यूएफआई) + एनआरआई +एफवीसीआई+डीआर}	26% तक स्वचालित मार्ग से 26% से अधिक और 49% तक सरकारी मार्ग से
एफ.7.1.2	ए) कोई भी भारतीय बीमा कंपनी पोर्टफोलियो निवेशकों सहित विदेशी निवेशकों द्वारा अपने ई क्विटी शेयरो विदेशी निवेश के मार्फत ऐसी भारतीय कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत से अधिक की धारिता (holding) की नहीं देगी। बी) भारतीय बीमा कंपनी में कुल विदेशी निवेश 26 प्रतिशत से अधिक और 49 प्रतिशत की सीमा तक ले जाने वार्व विदेशी निवेश के प्रस्ताव सरकारी मार्ग से हो सकेंगे। सी) इस क्षेत्र में विदेशी निवेश बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंधों के अनुपालन की शर्त के अधीन और इस शर्त वे भी होंगे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने वाली कंपनियाँ भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण गितिविधियों के लिए आवश्यक लाइसेन्स प्राप्त करेंगी। डी) भारतीय बीमा कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसका स्वामित्व और नियंत्रण 19 फरवरी 2015 की अधिसूचन सा.का.नि. 115 (अ) में संदर्भित निवासी भारतीय कंपनियों के हाथों में ही हमेशा बना रहे। ई) भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्या प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 के विनियम 5 के उप-विनियम (2), (2ए), (3) और		क की धारिता (holding) की अनुमति शत की सीमा तक ले जाने वाले प्रत्यक्ष शर्त के अधीन और इस शर्त के अधीन मक और विकास प्राधिकरण से बीमा अ फरवरी 2015 की अधिसूचना संख्या ता रहे। से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा
	नियंत्रित होंगे।	तिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो नि ो में विदेशी निवेश में वृद्धि भारतीय रिजर्व बैंक ह नसार हो सकेगी।	

जी) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के उपबंधों के अंतर्गत नियुक्त बीमा ब्रोकरों, थर्ड पार्टी प्रशासकों, सर्वेक्षकों और हानि मूल्यांकनर्ताओं तथा अन्य बीमा मध्यस्थ कंपनियों के संबंध में विदेशी ई क्विटी निवेश की 49 प्रतिशत की कैप उल्लेखानुसार लागू होगी।

एच) बशर्ते कि जहां बैंक जैसी किसी कंपनी के, जिसका प्राथमिक कारोबार बीमा क्षेत्र से बाहर है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बीमा मध्यस्थ कंपनियों के रूप में कार्य करने के लिए अनुमित दी जाती है, तो उक्त क्षेत्र हेतु लागू विदेशी ई क्विटी निवेश कैप संबंधी अनुदेश उस पर भी लागू होंगे बशर्ते कि ऐसी कंपनियों के प्राथमिक (अर्थात गैर-बीमा संबंधी) कारोबार से प्राप्त राजस्व किसी भी वित्तीय वर्ष में उसके कुल राजस्व के 50 प्रतिशत के अधिक अवश्य रहे। आई) बैंकों द्वारा प्रवर्तित बीमा कंपनियों के संबंध में 'बैंकिंग-प्राइवेट क्षेत्र' से संबंधित पैराग्राफ एफ.2, एफ.2.1 और एफ.2.2 के उपबंध लागु होंगे।

जे) 'नियंत्रण', 'ई क्विटी शेयर पूंजी', 'विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई)', 'विदेशी निवेशक', 'विदेशी पोर्टफोलियो निवेश', 'भारतीय बीमा कंपनी', 'भारतीय कंपनी', 'किसी भारतीय बीमा कंपनी पर भारतीय नियंत्रण', 'भारतीय स्वामित्व', 'अनिवासी कंपनी', 'सरकारी वित्तीय संस्था', 'निवासी भारतीय नागरिक', 'कुल विदेशी निवेश' शब्दों के अर्थ वही होंगे जो 19 फरवरी 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 115 (अ) में दिये गए हैं।

[सं॰फेमा॰340/2015-आरबी]

बी॰ पी॰ कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:-

मूल विनियमावली 8 मई 2000 के सा.का.नि.सं.406(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:-

सा.का.नि. सं. 158(अ), दिनांक 02.03.2001 सा.का.नि. सं. 175(अ), दिनांक 13.03.2001 सा.का.नि. सं. 182(अ), दिनांक 14.03.2001 सा.का.नि. सं. 4(अ), दिनांक 02.01.2002 सा.का.नि. सं. 574(अ), दिनांक 19.08.2002 सा.का.नि. सं. 223(अ), दिनांक 18.03.2003 सा.का.नि. सं. 225(अ), दिनांक 18.03.2003 सा.का.नि. सं. 558(अ), दिनांक 22.07.2003 सा.का.नि. सं. 835(अ), दिनांक 23.10.2003 सा.का.नि. सं. 899(अ), दिनांक 22.11.2003 सा.का.नि. सं. 12(अ), दिनांक 07.01.2004 सा.का.नि. सं. 278(अ), दिनांक 23.04.2004 सा.का.नि. सं. 454(अ), दिनांक 16.07.2004 सा.का.नि. सं. 625(अ), दिनांक 21.09.2004 सा.का.नि. सं. 799(अ), दिनांक 08.12.2004 सा.का.नि. सं. 201(अ), दिनांक 01.04.2005 सा.का.नि. सं. 202(अ), दिनांक 01.04.2005 सा.का.नि. सं. 504(अ), दिनांक 25.07.2005 सा.का.नि. सं. 505(अ), दिनांक 25.07.2005 सा.का.नि. सं. 513(अ), दिनांक 29.07.2005

सा.का.नि. सं. 738(अ), दिनांक 22.12.2005 सा.का.नि. सं. 29(अ), दिनांक 19.01.2006 सा.का.नि. सं. 413(अ), दिनांक 11.07.2006 सा.का.नि. सं. 712(अ), दिनांक 14.11.2007 सा.का.नि. सं. 713(अ), दिनांक 14.11.2007 सा.का.नि. सं. 737(अ), दिनांक 29.11.2007 सा.का.नि. सं. 575(अ), दिनांक 05.08.2008 सा.का.नि. सं. 896(अ), दिनांक 30.12.2008 सा.का.नि. सं. 851(अ), दिनांक 01.12.2009 सा.का.नि. सं. 341 (अ), दिनांक 21.04.2010 सा.का.नि. सं. 821(अ), दिनांक 10.11.2012 सा.का.नि. सं. 606(अ), दिनांक 03.08.2012 सा.का.नि. सं. 795(अ), दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 796(अ), दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 797(अ), दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 945(अ), दिनांक 31.12.2012 सा.का.नि. सं. 946(अ), दिनांक 31.12.2012 सा.का.नि. सं. 38(अ), दिनांक 22.01.2013 सा.का.नि. सं. 515(अ), दिनांक 30.07.2013

सा.का.नि. सं. 532(अ), दिनांक 05.08.2013	सा.का.नि. नं361(अ), दिनांक 27.05.2014
सा.का.नि. सं. 341(अ), दिनांक 28.05.2013	सा.का.नि. नं370(अ), दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. नं344(अ), दिनांक 29.05.2013	सा.का.नि. नं371(अ), दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. नं195(अ), दिनांक 01.04.2013	सा.का.नि. नं435(अ), दिनांक 08.07.2014
सा.का.नि. सं. 393(अ), दिनांक 21.06.2013	सा.का.नि. नं400(अ), दिनांक 12.06.2014
सा.का.नि. सं. 591(अ), दिनांक 04.09.2013	सा.का.नि. नं436(अ), दिनांक 08.07.2014
सा.का.नि. सं. 596(अ), दिनांक 06.09.2013	सा.का.नि. सं. 487 (अ), दिनांक 11.07.2014
सा.का.नि. सं. 597(अ), दिनांक 06.09.2013	सा.का.नि. सं. 632 (अ), दिनांक 02.09.2014
सा.का.नि. सं. 681(अ), दिनांक 11.10.2013	सा.का.नि. सं. 798 (अ), दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 682(अ), दिनांक 11.10.2013	सा.का.नि. नं 799 (अ), दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 818(अ), दिनांक 31.12.2013	सा.का.नि. सं. 800 (अ), दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 805(अ), दिनांक 30.12.2013	सा.का.नि. सं. 829 (अ), दिनांक 21.11.2014
सा.का.नि. नं683(अ), दिनांक 11.10.2013	सा.का.नि. सं. 906 (अ), दिनांक 22.12.2014
सा.का.नि. नं189(अ), दिनांक 19.03.2014	सा.का.नि. सं. 914 (अ), दिनांक 24.12.2014
सा.का.नि. नं190(अ), दिनांक 19.03.2014	सा.का.नि. सं. 30 (अ), दिनांक 14.01.2015
सा.का.नि. नं270(अ), दिनांक 07.04.2014	

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd March, 2015

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Third Amendment) Regulations, 2015

G.S.R.183(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000) namely:—

1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Third Amendment) Regulations, 2015.
- (ii) They shall come into force from March 2, 2015.

2. Amendment of Schedule 1

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), in the existing Annex B,

(i) in the existing entry F.2.2, for the item (4)(i)(c), the following shall be substituted, namely:

S. No.	Other conditions
(4)(1)(c)	Applications for foreign direct investment in private banks having joint venture/subsidiary in insurance sector may be addressed to the Reserve Bank of India (RBI) for consideration in consultation with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDA) in order to ensure that the 49 per cent limit of foreign shareholding applicable for the insurance sector is not being breached.

(ii) in the existing entry F.7, for the items F.7.1, and F.7.2, the following shall be substituted, namely:

S. No.		Sector/ Activity	% of FDI Cap/Equity	Entry Route
F.7.1		(i) Insurance Company(ii) Insurance Brokers(iii) Third party Administrators(iv) Surveyors and Loss	49% {(FDI+FPI(FII,QFI)+NRI+FVCI+DR}	Automatic upto 26% Government route beyond 26% and up to 49%
	Assesso			20% and up to 19%
	provisio	(v) Other Insurance ediaries appointed under the ons of Insurance Regulatory and pment Authority Act, 1999 (41 of		
F.7.2		Other Conditions:		
	a)		all allow the aggregate holdings by way of tors, including portfolio investors, to exceed an insurance company.	
	b)		sals which take the total foreign investment of the cap of 49 percent shall be under Go	
	c)	and the condition that Companie	is subject to compliance of the provisions is bringing in FDI shall obtain necessary ority of India for undertaking insurance actions.	license from the Insurance
	d)		all ensure that its ownership and control referred to in Notification No. G.S.R 1	
	e)	contained in sub-regulations (2), (Transfer or issue of security by a	an Indian insurance company shall be (2A), (3) and (8) of regulation 5 of Forperson resident outside India) Regulation ia (Foreign Portfolio Investors) Regulation	eign Exchange Management s, 2000 and provisions of the
	f)		ent of an Indian insurance company shall serve Bank of India under the FEMA.	l be in accordance with the
	g)	Brokers, Third Party Administrate	p of 49 percent shall apply on the same ors, Surveyors and Loss Assessors and Ot f the Insurance Regulatory and Developm	her Insurance Intermediaries
	h)	allowed by the Insurance Regular intermediary, the foreign equity in to the condition that the revenu-	ke a bank, whose primary business is out tory and Development Authority of India avestment caps applicable in that sector sh es of such entities from their primary (ercent of their total revenues in any financi	at to function as an insurance all continue to apply, subject (i.e. non- insurance related)
	i)	The provisions of paragraphs F applicable in respect of bank prom	7.2, F.2.1 and F.2.2 relating to Banking noted insurance companies.	g- Private Sector', shall be
	j)	Portfolio Investment', 'Indian Ins Insurance Company', 'Indian Own	apital', 'Foreign Direct Investment' (FDI), surance Company', 'Indian Company', 'Inership', 'Non-resident Entity', 'Public Firvestment' will have the same meaning as y, 2015.	ndian Control of an Indian nancial Institution', 'Resident

Foot Note:-

The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No.406(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R. No. 158(E) dated 02.03.2001
G.S.R. No. 175(E) dated 13.03.2001
G.S.R. No. 182(E) dated 14.03.2001
G.S.R. No. 4(E) dated 02.01.2002
G.S.R. No. 574(E) dated 19.08.2002
G.S.R. No. 223(E) dated 18.03.2003
G.S.R. No. 225(E) dated 18.03.2003
G.S.R. No. 558(E) dated 22.07.2003
G.S.R. No. 835(E) dated 23.10.2003
G.S.R. No. 899(E) dated 22.11.2003
G.S.R. No. 12(E) dated 07.01.2004
G.S.R. No. 278(E) dated 23.04.2004
G.S.R. No. 454(E) dated 16.07.2004
G.S.R. No. 625(E) dated 21.09.2004
G.S.R. No. 799(E) dated 08.12.2004
G.S.R. No. 201(E) dated 01.04.2005
G.S.R. No. 202(E) dated 01.04.2005
G.S.R. No. 504(E) dated 25.07.2005
G.S.R. No. 505(E) dated 25.07.2005
G.S.R. No. 513(E) dated 29.07.2005
G.S.R. No. 738(E) dated 22.12.2005
G.S.R. No. 29(E) dated 19.01.2006
G.S.R. No. 413(E) dated 11.07.2006
G.S.R. No. 712(E) dated 14.11.2007
G.S.R. No. 713(E) dated 14.11.2007
G.S.R. No. 737(E) dated 29.11.2007
G.S.R. No. 575(E) dated 05.08.2008
G.S.R. No. 896(E) dated 30.12.2008
G.S.R. No. 851(E) dated 01.12.2009
G.S.R. No. 341 (E) dated 21.04.2010
G.S.R. No. 821 (E) dated 10.11.2012
G.S.R. No. 606(E) dated 03.08.2012
G.S.R. No. 795(E) dated 30.10.2012
G.S.R. No. 796(E) dated 30.10.2012
G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012

G.S.R. No. 945 (E) dated 31.12.2012 G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012 G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013 G.S.R. No.515(E) dated 30.07.2013 G.S.R. No.532(E) dated 05.08.2013 G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013 G.S.R. No.344(E) dated 29.05.2013 G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013 G.S.R. No.393(E) dated 21.06.2013 G.S.R. No.591(E) dated 04.09.2013 G.S.R. No.596(E) dated 06.09.2013 G.S.R. No.597(E) dated 06.09.2013 G.S.R. No.681(E) dated 11.10.2013 G.S.R. No.682(E) dated 11.10.2013 G.S.R. No.818(E) dated 31.12.2013 G.S.R. No.805(E) dated 30.12.2013 G.S.R. No.683(E) dated 11.10.2013 G.S.R. No.189(E) dated 19.03.2014 G.S.R. No.190(E) dated 19.03.2014 G.S.R. No.270(E) dated 07.04.2014 G.S.R. No. 361 (E) dated 27.05.2014 G.S.R. No.370(E) dated 30.05.2014 G.S.R. No.371(E) dated 30.05.2014 G.S.R. No. 435 (E) dated 08.07.2014 G.S.R. No. 400 (E) dated 12.06.2014 G.S.R. No. 436 (E) dated 08.07.2014 G.S.R. No. 487 (E) dated 11.07.2014 G.S.R. No. 632 (E) dated 02.09.2014 G.S.R. No. 798 (E) dated 13.11.2014 G.S.R. No. 799 (E) dated 13.11.2014 G.S.R. No. 800 (E) dated 13.11.2014 G.S.R. No. 829 (E) dated 21.11.2014 G.S.R. No. 906(E) dated 22.12.2014 G.S.R. No. 914 (E) dated 24.12.2014 G.S.R. No. 30 (E) dated 14.01.2015